

खान अधिनियम, 1952

कोयला खान विनियम, 2017 के अधीन सर्वेक्षक / ओवरमैन सक्षमता प्रमाण पत्र हेतु परीक्षा - 2019
एवं

धात्विय खान विनियम, 1961 के अधीन सर्वेक्षक / फोरमैन सक्षमता प्रमाण पत्र हेतु परीक्षा - 2019

अध्यक्ष, खनन परीक्षा बोर्ड तथा महानिदेशक खान सुरक्षा, धनबाद द्वारा बिलासपुर, धनबाद, हैदराबाद, नागपुर एवं सीतारामपुर केन्द्रों में कोयला खान विनियम, 2017 के अंतर्गत ओवरमैन सक्षमता प्रमाण पत्र तथा सर्वेक्षक सक्षमता प्रमाण पत्र हेतु परीक्षाएं (रेस्ट्रीक्टेड एवं अन-रेस्ट्रीक्टेड) तथा धात्विय खान विनियम, 1961 के अंतर्गत अजमेर, भुवनेश्वर, धनबाद, हैदराबाद, नागपुर एवं सीतारामपुर केन्द्रों पर फोरमैन (रेस्ट्रीक्टेड एवं अन-रेस्ट्रीक्टेड) तथा अजमेर, हैदराबाद एवं सीतारामपुर केन्द्रों पर सर्वेक्षक सक्षमता प्रमाण पत्र (रेस्ट्रीक्टेड एवं अन-रेस्ट्रीक्टेड) परीक्षा नवम्बर 2019 में आयोजित की जा रही है। परीक्षाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है:-

परीक्षा तिथि	प्रातः कालीन सत्र परीक्षा का नाम एवं विषय / पत्र	अपराह्न सत्र परीक्षा का नाम एवं विषय / पत्र
16.11.2019	ओवरमैन (अन-रेस्ट्रीक्टेड) परीक्षा (कोयला) सर्वेक्षक (अन-रेस्ट्रीक्टेड) प्रथम पत्र (कोयला) फोरमैन (अन-रेस्ट्रीक्टेड) परीक्षा (धातु) सर्वेक्षक (अन-रेस्ट्रीक्टेड) प्रथम पत्र (धातु)	सर्वेक्षक (अन-रेस्ट्रीक्टेड) द्वितीय पत्र (कोयला) सर्वेक्षक (अन-रेस्ट्रीक्टेड) द्वितीय पत्र (धातु)
17.11.2019	ओवरमैन (रेस्ट्रीक्टेड) परीक्षा (कोयला) सर्वेक्षक (रेस्ट्रीक्टेड) परीक्षा (धातु)	फोरमैन (रेस्ट्रीक्टेड) परीक्षा (धातु) सर्वेक्षक (रेस्ट्रीक्टेड) परीक्षा (कोयला)

शुल्क, पात्रता, शर्तें, योग्यताएं, व्यावहारिक अनुभव एवं अन्य विस्तृत विवरण खान सुरक्षा महानिदेशालय के वेबसाईट - www.dgms.gov.in पर उपलब्ध है। विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 07.09.2019 (संध्या 6.00 बजे) है।

सामान्य निर्देश:

- कोयला खान विनियम, 2017 एवं धात्विक खान विनियम, 1961 के अन्तर्गत (संशोधित प्रपत्र दिनांक 10.06.2019) आवेदन प्रपत्र डी.जी.एम.एस. बेबसाईट www.dgms.gov.in पर अगल-अगल उपलब्ध करायें गये हैं।
- सभी प्राथियों से अनुरोध है कि इन प्रपत्रों को डाउनलोड कर इन्हीं प्रपत्रों में आवेदन करें। दुसरे प्रपत्र में आवेदन करने पर बिना किसी सुचना के आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा ।
- उम्मीदवार को उस परीक्षा के नाम का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसमें वह उपस्थित होना चाहता है।
- आवेदन फॉर्म में हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट साइज अभिप्रमाणित फोटो को निर्धारित स्थान पर चिपकाना है; इसके साथ चार अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो, जिसमें सामने में ऊपर में अभ्यर्थी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हो।
- आवेदन केवल डाक द्वारा प्राप्त किया जाएगा और हाथ से या व्यक्तिगत रूप से नहीं।

6. सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को भेजा जाना चाहिए - **TO THE SECRETARY, BOARD OF MINING EXAMINATIONS & DIRECTOR OF MINES SAFETY (EXAMINATIONS), DIRECTORATE GENERAL OF MINES SAFETY, DHANBAD - 826 001 (JHARKHAND)** को केवल पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक **07-09-2019** को (शाम 06:00 बजे से पहले) या उससे पहले पहुंच सकें।

7. निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा। बोर्ड, आवेदन प्राप्त करने के लिए डाक पारगमन में किसी भी संचार की प्राप्ति या हानि में देरी के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है।

विशेष- (i) जो आवेदक इससे पहले समान परीक्षाओं में उपस्थित हुए हैं, वे अनिवार्य रूप से अंतिम परीक्षा के वर्ष के साथ आईडी नंबर और रोल नं का उल्लेख करेंगे।

(ii) परीक्षा आयोजित किए जाने वाले परिसर के अंदर मोबाइल फोन, पेजर या अन्य किसी भी संचार उपकरण की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा कोई भी उल्लंघन किए जाने की स्थिति में खनन परीक्षा बोर्ड द्वारा उम्मीदवारी रद्द करने सहित भविष्य की परीक्षाओं से तीन साल के लिए प्रतिबंधित करने का अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा।

सी एम आर, 2017 के तहत ओवरमैन तथा सर्वेक्षक एवं एम एम आर, 1961 के तहत फोरमैन एवं सर्वेक्षक परीक्षाओं हेतु दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण

1.0 सी एम आर, 2017 के तहत ओवरमैन परीक्षा

1.1 आयु प्रमाण पत्र : मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र / उच्च विद्यालय प्रमाण पत्र / माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र / 10वीं स्तर या अन्य समतुल्य प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

अंक पत्र / अंतरिम प्रमाण पत्र / स्थानांतरण प्रमाण पत्र / प्रवजन प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि उन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन को रद्द माना जाएगा।

1.2 शैक्षणिक योग्यता : वरीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र / उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र / इंटरमिडियेट प्रमाण पत्र / 12वीं या अन्य समतुल्य प्रमाण पत्र या अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा डिग्री का प्रमाण पत्र या इसके एवज में केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समतुल्य योग्यताओं संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ।

अंक पत्र / अंतरिम प्रमाण पत्र / स्थानांतरण प्रमाण पत्र / प्रवजन प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि उन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन को रद्द माना जाएगा।

1.3 प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र (एफ ए सी): वैध प्राथमिक चिकित्सा उपचार प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति (इसे परीक्षा की तिथि तक वैध होना अपेक्षित है)।

अंतरिम प्रमाण पत्र नहीं स्वीकारा जाएगा। यदि उन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन को रद्द माना जाएगा। राज्य इकाई द्वारा जारी किया एफ ए सी मान्य नहीं होगा।

यथापि या फिरभी, प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र का वैध नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी या उम्मीदवार पूर्व प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र की वैधता समाप्ति की पहले परीक्षा की अगले चरण में शामिल होता है तो अभ्यर्थी को अपने आवेदन पर विचार करने के लिए प्रशिक्षण / पास प्रमाणपत्र तथा पुराने प्राथमिक सहायता प्रमाणपत्र को जमा करना होगा अन्यथा उसकी उम्मीदवारी रद्द समझी जाएगी।

1.4 चिकित्सा तथा चरित्र प्रमाणपत्र: परीक्षा की तिथि तक कम से कम एक वर्ष का मूल चिकित्सा तथा चरित्र प्रमाणपत्र । यह प्रमाणपत्र एक वर्ष से अधिक पूर्व का निर्गत किया हुआ नहीं होना चाहिए।

1.5 गैस जॉच प्रमाणपत्र (मात्र असीमित परीक्षा हेतु) तथा सरदार प्रमाणपत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ।

1.6 अनुभव प्रमाण पत्र:

1.6.1 असीमित प्रकार की परीक्षा हेतु भूमिगत खान के वर्किंग में सरदार या शॉटफायरर या अन्य हैशियत से सरदार के रूप में कार्य करने संबंधित कम से कम एक माह के अनुभव प्रमाणपत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

1.6.2 सीमित प्रकार की परीक्षा हेतु भूमिगत या खुली खान के वर्किंग में माइनिंग सरदार या शॉटफायरर या अन्य हैशियत से सरदार के रूप में कार्य करने संबंधित कम से कम एक माह के अनुभव प्रमाणपत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

1.7 “आवेदन के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों एवं / या प्रमाण पत्रों तथा आवेदन में दी गई जानकारी सत्य / सही है। किसी भी प्रमाण पत्र / दस्तावेज/ जानकारी के गलत पाए जाने पर मुझे खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लागू प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा” - हेतु आवेदन के साथ प्रार्थी द्वारा एक शपथ पत्र देना होगा।

1.8 शुल्क : “ भारतकोष ” द्वारा 600 रुपये का भुगतान (भुगतान विधि की चर्चा डी जी एम एस का वेबसाइट www.dgms.gov.in में दी गई है ।)

2.0 सी एम आर, 2017 के तहत सर्वेक्षक परीक्षा

2.1 आयु प्रमाण पत्र : मैट्रीकुलेशन प्रमाण पत्र / उच्च विद्यालय प्रमाण पत्र / माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र / 10वीं स्तर या अन्य समतुल्य प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

अंक पत्र / अंतरिम प्रमाण पत्र / स्थानांतरण प्रमाण पत्र / प्रवजन प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि उन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन को रद्द माना जाएगा।

2.2 शैक्षणिक योग्यता :- सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या डिप्लोमा या सर्वेक्षण अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या एन टी सी (सर्वेक्षण) प्रमाणपत्र या वरीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र / उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र / इंटरमिडियेट प्रमाण पत्र / 12वीं स्तर की शिक्षा या अन्य समतुल्य प्रमाणपत्र या (सिविल अभियांत्रिकी से भिन्न) डिग्री या डिप्लोमा का प्रमाणपत्र या केन्द्र सरकार द्वारा इसके एवज में दिया गया मान्यता प्राप्त अन्य समतुल्य अर्हताएँ।

2.2.1 एन टी सी (सर्वेक्षण) अभियर्थी वरीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र / उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र / इंटरमिडियेट प्रमाण पत्र या अन्य समतुल्य प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेंगे।

अंक पत्र / अंतरिम प्रमाण पत्र / स्थानांतरण प्रमाण पत्र / प्रवजन प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि उन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन को रद्द माना जाएगा।

2.3 प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र (एफ ए सी) :- वैध प्राथमिक चिकित्सा उपचार प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति (इसे परीक्षा की तिथि तक वैध होना अपेक्षित है)।

अंतरिम प्रमाण पत्र नहीं स्वीकारा जाएगा। यदि उन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन को रद्द माना जाएगा। राज्य इकाई द्वारा जारी किया एफ ए सी मान्य नहीं होगा।

यथापि या फिरभी, प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र का वैध नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी या उम्मीदवार पूर्व प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र की वैधता समाप्ति की पहले परीक्षा की अगले चरण में शामिल होता है तो अभ्यर्थी को अपने आवेदन पर विचार करने के लिए प्रशिक्षण / पास प्रमाणपत्र तथा पुराने प्राथमिक सहायता प्रमाणपत्र को जमा करना होगा अन्यथा उसकी उम्मीदवारी रद्द समझी जाएगी।

2.4 चिकित्सा तथा चरित्र प्रमाणपत्र : परीक्षा की तिथि तक कम से कम एक वर्ष का मूल चिकित्सा तथा चरित्र प्रमाणपत्र । यह प्रमाणपत्र एक वर्ष से अधिक पूर्व का निर्गत किया हुआ नहीं होना चाहिए।

2.5 अनुभव प्रमाण पत्र

2.5.1 सर्वेक्षक प्रमाण पत्र - परीक्षा

योग्यता	व्यावहारिक अनुभव की अवधि, प्रकृति और विवरण।
उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या इंटरमीडिएट परीक्षा या मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से समकक्ष योग्यता या खनन और सिविल इंजीनियरिंग के अलावा किसी भी विषय में डिप्लोमा या डिग्री या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य समकक्ष योग्यता ।	अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के बाद क्षमता में भूमिगत कार्य करने वाले कोयला खदान में सर्वेक्षण में व्यावहारिक अनुभव के दो साल से कम नहीं।

सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री या सर्वेक्षण इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या सर्वेक्षण में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ।	अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के बाद भूमिगत कार्य करने वाले कोयला खदान में सर्वेक्षण में छह महीने से कम का व्यावहारिक अनुभव नहीं ।
--	--

2.5.2 सर्वेक्षक का प्रमाणपत्र (केवल ओपन कास्ट कार्य करने वाले खानों तक सीमित) - परीक्षा:

योग्यता	व्यावहारिक अनुभव की अवधि, प्रकृति और विवरण।
उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या इंटरमीडिएट परीक्षा या मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से समकक्ष या खनन और सिविल इंजीनियरिंग के अलावा किसी भी विषय में डिप्लोमा या डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा इस संदर्भ में अनुमोदित अन्य समकक्ष योग्यता ।	अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने के बाद क्षमता में भूमिगत / ओपन कास्ट कार्य करने वाले कोयला खदान में सर्वेक्षण में व्यावहारिक अनुभव के दो साल से कम नहीं ।
सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री या सर्वेक्षण इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या सर्वेक्षण में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ।	अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने के बाद भूमिगत / ओपनकास्ट कार्य करने वाले कोयला खदान में सर्वेक्षण में छह महीने के व्यावहारिक अनुभव से कम नहीं ।

2.6 “आवेदन के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों एवं / या प्रमाण पत्रों तथा आवेदन में दी गई जानकारी सत्य / सही है। किसी भी प्रमाण पत्र / दस्तावेज/ जानकारी के गलत पाए जाने पर मुझे खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लागू प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा” - हेतु आवेदन के साथ प्रार्थी द्वारा एक शपथ पत्र देना होगा।

2.7 शुल्क : “ भारतकोष ” द्वारा 600 रुपये का भुगतान (भुगतान विधि की चर्चा डी जी एम एस का वेबसाइट www.dgms.gov.in में दी गई है ।)

3.0 एम एम आर 1961 के तहत फोरमैन की परीक्षा

3.1 आयु प्रमाण पत्र : मैट्रीकुलेशन प्रमाण पत्र / उच्च विद्यालय प्रमाण पत्र / माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र / 10वीं स्तर या अन्य समतुल्य प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

अंक पत्र / अंतरिम प्रमाण पत्र / स्थानांतरण प्रमाण पत्र / प्रवजन प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि उन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन को रद्द माना जाएगा।

3.2 शैक्षणिक योग्यता : वरीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र / उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र / इंटरमिडियेट प्रमाण पत्र / 12वीं या अन्य समतुल्य प्रमाण पत्र या अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा डिग्री का प्रमाण पत्र या इसके एवज में केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समतुल्य योग्यताओं संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ।

अंक पत्र / अंतरिम प्रमाण पत्र / स्थानांतरण प्रमाण पत्र / प्रवजन प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि उन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन को रद्द माना जाएगा।

3.3 प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र (एफ ए सी) :- वैध प्राथमिक चिकित्सा उपचार प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति (इसे परीक्षा की तिथि तक वैध होना अपेक्षित है)।

अंतरिम प्रमाण पत्र नहीं स्वीकारा जाएगा। यदि उन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन को रद्द माना जाएगा। राज्य इकाई द्वारा जारी किया एफ ए सी मान्य नहीं होगा।

यथापि या फिरभी, प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र का वैध नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी या उम्मीदवार पूर्व प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र की वैधता समाप्ति की पहले परीक्षा की अगले चरण में शामिल होता है तो अभ्यर्थी को अपने आवेदन पर विचार करने के लिए प्रशिक्षण / पास प्रमाणपत्र तथा पुराने प्राथमिक सहायता प्रमाणपत्र को जमा करना होगा अन्यथा उसकी उम्मीदवारी रद्द समझी जाएगी।

3.4 चिकित्सा तथा चरित्र प्रमाणपत्र: मूल चिकित्सा प्रमाणपत्र जो की परीक्षा की तिथि से दो वर्ष के अंदर जारी किया गया हो तथा मूल चरित्र प्रमाणपत्र जो की परीक्षा की तिथि से एक वर्ष के अंदर जारी किया गया हो ।

3.5 गैस जॉच प्रमाणपत्र (मात्र असीमित परीक्षा हेतु) तथा खनन मेट प्रमाणपत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ।

3.6 “आवेदन के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों एवं / या प्रमाण पत्रों तथा आवेदन में दी गई जानकारी सत्य / सही है। किसी भी प्रमाण पत्र / दस्तावेज/ जानकारी के गलत पाए जाने पर मुझे खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लागू प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा” - हेतु आवेदन के साथ प्रार्थी द्वारा एक शपथ पत्र देना होगा।

3.7 शुल्क : “ भारतकोष ” द्वारा 50 रुपये का भुगतान (भुगतान विधि की चर्चा डी जी एम एस का वेबसाइट www.dgms.gov.in में दी गई है ।)

4.0 एम एम आर 1961 के तहत सर्वेक्षक की परीक्षा

4.1 आयु प्रमाण पत्र : मैट्रीकुलेशन प्रमाण पत्र / उच्च विद्यालय प्रमाण पत्र / माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र / 10वीं स्तर या अन्य समतुल्य प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

अंक पत्र / अंतरिम प्रमाण पत्र / स्थानांतरण प्रमाण पत्र / प्रवजन प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि उन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन को रद्द माना जाएगा।

4.2 शैक्षणिक योग्यता :- सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या डिप्लोमा या सर्वेक्षण अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या एन टी सी (सर्वेक्षण) प्रमाणपत्र या वरीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र / उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र / इंटरमिडियेट प्रमाण पत्र / 12वीं स्तर की शिक्षा या अन्य समतुल्य

प्रमाणपत्र या (सिविल अभियंत्रिकी से भिन्न) डिग्री या डिप्लोमा का प्रमाणपत्र या केन्द्र सरकार द्वारा इसके एवज में दिया गया मान्यता प्राप्त अन्य समतुल्य अर्हताएँ।

4.2.1 एन टी सी (सर्वेक्षण) अभियर्थी वरीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र / उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र / इंटरमिडियेट प्रमाण पत्र या अन्य समतुल्य प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेंगे।

अंक पत्र / अंतरिम प्रमाण पत्र / स्थानांतरण प्रमाण पत्र / प्रवजन प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि उन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन को रद्द माना जाएगा।

4.3 प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र (एफ ए सी) :- वैध प्राथमिक चिकित्सा उपचार प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति (इसे परीक्षा की तिथि तक वैध होना अपेक्षित है)।

अंतरिम प्रमाण पत्र नहीं स्वीकारा जाएगा। यदि उन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन को रद्द माना जाएगा। राज्य इकाई द्वारा जारी किया एफ ए सी मान्य नहीं होगा।

यथापि या फिरभी, प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र का वैध नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी या उम्मीदवार पूर्व प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र की वैधता समाप्ति की पहले परीक्षा की अगले चरण में शामिल होता है तो अभ्यर्थी को अपने आवेदन पर विचार करने के लिए प्रशिक्षण / पास प्रमाणपत्र तथा पुराने प्राथमिक सहायता प्रमाणपत्र को जमा करना होगा अन्यथा उसकी उम्मीदवारी रद्द समझी जाएगी।

4.4 चिकित्सा तथा चरित्र प्रमाणपत्र : मूल चिकित्सा प्रमाणपत्र जो की परीक्षा की तिथी से दो वर्ष के अंदर जारी किया गया हो तथा मूल चरित्र प्रमाणपत्र जो की परीक्षा की तिथी से एक वर्ष के अंदर जारी किया गया हो ।

4.5 अनुभव प्रमाण पत्र

4.5.1 सर्वेक्षक प्रमाण पत्र - परीक्षा :

योग्यता	व्यावहारिक अनुभव की अवधि, प्रकृति और विवरण।
उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या इंटरमीडिएट परीक्षा या मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से समकक्ष योग्यता या खनन और सिविल इंजीनियरिंग के अलावा किसी भी विषय में डिप्लोमा या डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य समकक्ष योग्यता ।	अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के बाद भूमिगत कार्य करने वाले धात्विक खान में कम से कम छह माह का सर्वेक्षण में व्यावहारिक अनुभव के साथ साथ सर्वेक्षण अनुभव दो साल से कम का नहीं।
सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री या सर्वेक्षण इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या सर्वेक्षण में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ।	अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के बाद भूमिगत कार्य करने वाले धात्विक खान में सर्वेक्षण में छह महीने से कम का व्यावहारिक अनुभव नहीं ।

4.5.2 सर्वेक्षक का प्रमाणपत्र (केवल ओपन कास्ट कार्य करने वाले खानों तक सीमित) - परीक्षा:

योग्यता	व्यावहारिक अनुभव की अवधि, प्रकृति और विवरण।
उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या इंटरमीडिएट परीक्षा या मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से समकक्ष या खनन और सिविल इंजीनियरिंग के अलावा किसी भी विषय में डिप्लोमा या डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा इस संदर्भ में अनुमोदित अन्य समकक्ष योग्यता ।	अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के बाद धातु खान के भूमिगत / ओपनकास्ट वर्किंग में कम से कम छह माह का सर्वेक्षण में व्यावहारिक अनुभव के साथ साथ सर्वेक्षण अनुभव दो साल से कम का नहीं।
सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री या सर्वेक्षण इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या सर्वेक्षण में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ।	अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के बाद भूमिगत / ओपनकास्ट वर्किंग वाले धात्विक खान में सर्वेक्षण में छह महीने से कम का व्यावहारिक अनुभव नहीं ।

4.6 “आवेदन के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों एवं / या प्रमाण पत्रों तथा आवेदन में दी गई जानकारी सत्य / सही है। किसी भी प्रमाण पत्र / दस्तावेज/ जानकारी के गलत पाए जाने पर मुझे खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लागू प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा” - हेतु आवेदन के साथ प्रार्थी द्वारा एक शपथ पत्र देना होगा।

4.7 शुल्क : “ भारतकोष ” द्वारा 50 रुपये का भुगतान (भुगतान विधि की चर्चा डी जी एम एस का वेवसाइट www.dgms.gov.in मे दी गई है ।)

टिप्पणी :

- (i) परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार के पत्राचार की सूचना ई-मेल / डी.जी.एम.एस. बेबसाइट direxamhq@gmail.com / www.dgms.gov.in द्वारा दी जाएगी।
- (ii) उम्मीदवारों से आग्रह है कि वे अपना वैध ई-मेल आई.डी. ही दें। (बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से भरे जाने हेतु)
- (iii) शुल्क का भुगतान सिर्फ “ भारत कोष ” द्वारा ही किया जाय और आवेदन के साथ प्राप्ति की स्व: अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाय।
- (iv) योग्य उम्मीदवारों का प्रवेश-पत्र / बुलावा पत्र डी.जी.एम.एस. बेबसाइट www.dgms.gov.in मे अपलोड किया जाएगा और उम्मीदवारों से आग्रह है कि उसकी एक प्रति डाउनलोड करें और ले लें। बुलावा पत्र उम्मीदवारों को न तो डाक द्वारा अथवा न ही मेल द्वारा व्यक्तिशः भेजा जाएगा।
- (v) उम्मीदवारों से आग्रह है कि परीक्षा में उपस्थिति हेतु वे किसी भी प्रकार का मूल आई डी प्रुफ अपने पास रखें।

THE MINES ACT, 1952
EXAMINATIONS FOR SURVEYOR'S/OVERMAN'S CERTIFICATE OF COMPETENCY-2019 UNDER THE COAL
MINES REGULATIONS, 2017
&
EXAMINATIONS FOR SURVEYOR'S/FOREMAN'S CERTIFICATE OF COMPETENCY-2019 UNDER
THE METALLIFEROUS MINES REGULATIONS, 1961

The Chairman, Board of Mining Examinations and Director General of Mines Safety, Dhanbad is holding examinations in November, 2019 at Bilaspur, Dhanbad, Hyderabad, Nagpur & Sitarampur centres for Overman's and Surveyor's Certificate of Competency (Restricted & Un-restricted) under the Coal Mines Regulations, 2017 and Ajmer, Bhubaneshwar, Dhanbad, Hyderabad, Nagpur & Sitarampur for Foreman's (Restricted & Un-restricted) under the Metalliferous Mines Regulations, 1961 and Ajmer, Hyderabad and Sitarampur for Surveyor's (Restricted & Un-restricted) Certificate of Competency under the Metalliferous Mines Regulations, 1961. The brief particulars of examinations are as under:

Date of Examination	FORENOON SESSION Name and Subjects/Paper of examination	AFTERNOON SESSION Name and Subjects/Paper of examination
16.11.2019	Overman's (UR) Exam (Coal) Surveyor's (UR) 1 st Paper (Coal) Foreman's (UR) Exam (Metal) Surveyor's (UR) 1 st Paper (Metal)	Surveyor's (UR) 2 nd Paper (Coal) Surveyor's (UR) 2 nd Paper(Metal)
17.11.2019	Overman's (R) Exam (Coal) Surveyor's (R) Exam (Metal)	Foreman's (R) Exam (Metal) Surveyor's (R) Exam (Coal)

For fees, eligibility conditions, qualifications, practical experience and other details please visit www.dgms.gov.in
The last date for submission of completed application is **07.09.2019 (Evening 6.00 PM)**.

GENERAL INSTRUCTIONS

1. THE APPLICATION FORMS FOR BOTH UNDER CMR, 2017 AND MMR, 1961 (MODIFIED AS ON 10.06.2019) HAVE BEEN UPLOADED SEPARATELY IN DGMS WEBSITE www.dgms.gov.in. THE CANDIDATES ARE REQUESTED TO DOWNLOAD THE SAME AND APPLY IN THESE FORMS.
2. APPLICATION MADE IN ANY OTHER FORM SHALL BE REJECTED WITHOUT ANY FURTHER REFERENCE.
3. CANDIDATE ARE REQUIRED TO MENTION THE NAME OF EXAMINATION HE / SHE WISHES TO APPEAR IN.
4. THE APPLICATION FORM SHOULD BE DULY FILLED IN WITH RECENT ATTESTED PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH AFFIXED AT THE SPACE PROVIDED THEREIN ALONGWITH FOUR ADDITIONAL PASSPORT SIZE PHOTOGRAPHS WITH THE NAME WRITTEN CLEARLY ON FRONT SIZE.

5. THE APPLICATION WILL BE RECEIVED BY POST ONLY AND NOT BY HAND / PERSONAL DELIVERY.

6. APPLICATION FORM ALONG WITH ALL REQUIRED CERTIFICATES / DOCUMENTS SHALL BE SENT TO - TO THE SECRETARY, BOARD OF MINING EXAMINATIONS & DIRECTOR OF MINES SAFETY (EXAMINATIONS), DIRECTORATE GENERAL OF MINES SAFETY, DHANBAD - 826 001 (JHARKHAND) BY REGISTERED POST ONLY SO AS TO REACH ON OR BEFORE 07-09-2019 (EVENING 06:00 PM).

APPLICATIONS RECEIVED AFTER THE PRESCRIBED LAST DATE WILL BE SUMMARILY REJECTED. THE BOARD TAKES NO RESPONSIBILITY FOR ANY DELAY IN RECEIPT OR LOSS OF ANY COMMUNICATION IN POSTAL TRANSIT FOR SUBMISSION OF APPLICATION.

NOTE - (i) APPLICANTS WHO HAVE APPEARED EARLIER IN THE SIMILAR EXAMINATIONS SHALL MENTION THE ID NO. AND ROLL NO. WITH THE YEAR OF LAST EXAMINATION WITHOUT FAIL.

(ii) MOBILE PHONES, PAGERS OR ANY OTHER COMUNICATION DEVICES ARE NOT ALLOWED INSIDE THE PREMISES WHERE THE EXAMINATION IS BEING CONDUCTED. ANY INFRINGEMENT SHALL ENTAIL DISCIPLINARY ACTION INCLUDING CANCELLATION OF CANDIDATURE AND DEBARMENT FOR THREE YEARS FROM THE FUTURE EXAMINATIONS BY THE BOARD OF MINING EXAMINATIONS.

**DOCUMENTS TO BE SUBMITTED FOR
OVERMAN'S & SURVEYOR'S EXAMINATIONS UNDER CMR, 2017 AND
FOREMAN'S & SURVEYOR'S EXAMINATIONS UNDER MMR, 1961**

1.0 OVERMAN EXAMINATION UNDER CMR, 2017

1.1 AGE PROOF: SELF ATTESTED COPY OF MATRICULATION CERTIFICATE / HIGH SCHOOL CERTIFICATE / SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE / 10th STANDARD OR OTHER EQUIVALENT CERTIFICATE.

COPIES OF MARK LIST / PROVISIONAL CERTIFICATE / TRANSFER CERTIFICATE / MIGRATION CERTIFICATE NOT ACCEPTED. IF THEY ARE SUBMITTED THEN THE APPLICATION WILL BE REJECTED.

1.2 ACADEMIC QUALIFICATION: SELF ATTESTED COPY OF SENIOR SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE / HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE / INTERMEDIATE CERTIFICATE / 12th STANDARD OR OTHER EQUIVALENT CERTIFICATE OR DIPLOMA OR DEGREE IN ENGINEERING OR OTHER EQUIVALENT QUALIFICATIONS APPROVED IN THAT BEHALF BY THE CENTRAL GOVERNMENT.

COPIES OF MARK LIST / PROVISIONAL CERTIFICATE / TRANSFER CERTIFICATE / MIGRATION CERTIFICATE NOT ACCEPTED AND IF THEY ARE SUBMITTED THEN THE APPLICATION WILL BE REJECTED.

1.3 FIRST AID CERTIFICATE (FAC): SELF ATTESTED COPY OF VALID FAC (IT HAS TO BE VALID ON THE DATE OF EXAMINATION).

PROVISIONAL CERTIFICATE IS NOT ACCEPTED. IF IT IS SUBMITTED THEN THE APPLICATION WILL BE REJECTED; FAC ISSUED BY STATE CENTRE WILL NOT BE ACCEPTED.

HOWEVER, IN CASE THE FAC IS NOT VALID AND THE APPLICANT APPEARED IN THE NEXT LEVEL OF EXAMINATION BEFORE EXPIRY OF THE PREVIOUS FAC, THEN THE APPLICANT HAS TO SUBMIT COPIES OF THE TRAINING / PASS CERTIFICATE AND OLD FAC TO CONSIDER HIS APPLICATION FAILING WHICH HIS APPLICATION WILL BE REJECTED.

1.4 MEDICAL & CHARACTER CERTIFICATES: ORIGINAL MEDICAL & CHARACTER CERTIFICATES OF NOT MORE THAN ONE YEAR OLD ON THE DATE OF EXAMINATION.

1.5 SELF ATTESTED COPIES OF GT CERTIFICATE (ONLY FOR UNRESTRICTED EXAMINATION) & SIRDAR CERTIFICATE

1.6 EXPERIENCE CERTIFICATE:

1.6.1 FOR UNRESTRICTED TYPE EXAM, SELF ATTESTED COPY OF EXPERIENCE CERTIFICATE OF NOT LESS THAN ONE MONTH PERIOD AS SIRDAR OR SHOTFIRER OR IN ANY OTHER CAPACITY WHICH REQUIRES THE POSSESSION OF SIRDAR CERTIFICATE IN A MINE HAVING BELOWGROUND WORKINGS.

1.6.2 FOR RESTRICTED TYPE EXAM, SELF ATTESTED COPIY OF EXPERIENCE CERTIFICATE OF NOT LESS THAN ONE MONTH PERIOD AS

SIRDAR OR SHOTFIRER OR IN ANY OTHER CAPACITY WHICH REQUIRES THE POSSESSION OF SIRDAR CERTIFICATE IN A MINE HAVING EITHER BELOWGROUND OR OPENCAST WORKINGS.

1.7 AN AFFIDAVIT DECLARING THAT “ALL THE DOCUMENTS AND / OR CERTIFICATES SUBMITTED ALONG WITH THE APPLICATION AND THE INFORMATION PROVIDED IN THE APPLICATION ARE TRUE / GENUINE. IN CASE OF SUBMISSION OF FALSE CERTIFICATE / DOCUMENTS / INFORMATIONS, I SHALL BE LIABLE TO BE PUNISHED AS PER THE EXTANT PROVISIONS OF THE MINES ACT, 1952”.

1.8 FEES: RS. 600 TO BE PAID THROUGH “**BHARATKOSH**” (PROCEDURE FOR PAYMENT IS EXPLAINED IN DGMS WEBSITE: www.dgms.gov.in)

2.0 SURVEYOR EXAMINATION UNDER CMR, 2017

2.1 AGE PROOF : SELF ATTESTED COPY OF MATRICULATION CERTIFICATE / HIGH SCHOOL CERTIFICATE / SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE / 10th STANDARD OR OTHER EQUIVALENT CERTIFICATE.

COPIES OF MARK LIST / PROVISIONAL CERTIFICATE / TRANSFER CERTIFICATE / MIGRATION CERTIFICATE NOT ACCEPTED. IF THEY ARE SUBMITTED THEN THE APPLICATION WILL BE REJECTED.

2.2 ACADEMIC QUALIFICATION: SELF ATTESTED COPY OF DEGREE OR DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING OR DIPLOMA IN SURVEY ENGINEERING OR NTC (SURVEYING) CERTIFICATE OR SENIOR SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE / HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE / INTERMEDIATE CERTIFICATE / 12th STANDARD OR OTHER EQUIVALENT CERTIFICATE OR DIPLOMA OR DEGREE IN ENGINEERING (OTHER THAN CIVIL ENGINEERING) OR OTHER EQUIVALENT QUALIFICATIONS APPROVED IN THAT BEHALF BY THE CENTRAL GOVERNMENT.

2.2.1 NTC (SURVEYING) CANDIDATES SHALL ALSO SUBMIT SELF ATTESTED COPY COPY OF SENIOR SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE / HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE / INTERMEDIATE CERTIFICATE OR OTHER EQUIVALENT CERTIFICATE.

COPIES OF MARK LIST / PROVISIONAL CERTIFICATE / TRANSFER CERTIFICATE / MIGRATION CERTIFICATE NOT ACCEPTED. IF THEY ARE SUBMITTED THEN THE APPLICATION WILL BE REJECTED.

2.3 FIRST AID CERTIFICATE (FAC): SELF ATTESTED COPY OF VALID FAC (IT HAS TO BE VALID ON THE DATE OF EXAMINATION).

PROVISIONAL CERTIFICATE IS NOT ACCEPTED. IF IT IS SUBMITTED THEN THE APPLICATION WILL BE REJECTED; FAC ISSUED BY STATE CENTRE WILL NOT BE ACCEPTED.

HOWEVER, IN CASE THE FAC IS NOT VALID AND THE APPLICANT APPEARED IN THE NEXT LEVEL OF EXAMINATION BEFORE EXPIRY OF THE PREVIOUS FAC, THEN THE APPLICANT HAS TO SUBMIT COPIES OF THE TRAINING / PASS CERTIFICATE AND OLD FAC TO CONSIDER HIS APPLICATION FAILING WHICH HIS APPLICATION WILL BE REJECTED.

2.4 MEDICAL & CHARACTER CERTIFICATES: ORIGINAL MEDICAL & CHARACTER CERTIFICATES OF NOT MORE THAN ONE YEAR OLD ON THE DATE OF EXAMINATION.

2.5 EXPERIENCE CERTIFICATE:

2.5.1 SURVEYOR (UNRESTRICTED):

QUALIFICATION	PERIOD, NATURE & DETAILS OF PRACTICAL EXPERIENCE
SENIOR SECONDARY SCHOOL EXAMINATION OR INTERMEDIATE EXAMINATION OR ITS EQUIVALENT FROM A RECOGNIZED BOARD OR UNIVERSITY OR DIPLOMA OR DEGREE IN ANY SUBJECT OTHER THAN MINING AND CIVIL ENGINEERING OR OTHER EQUIVALENT QUALIFICATION APPROVED IN THAT BEHALF BY THE CENTRAL GOVERNMENT.	NOT LESS THAN TWO YEARS OF PRACTICAL EXPERIENCE IN SURVEYING IN A COAL MINE HAVING BELOWGROUND WORKINGS IN A CAPACITY AFTER POSSESSION OF THE REQUISITE ACADEMIC QUALIFICATION.
DIPLOMA OR DEGREE IN CIVIL ENGINEERING OR DIPLOMA IN SURVEY ENGINEERING OR NATIONAL TRADE CERTIFICATE (NTC) IN SURVEYING	NOT LESS THAN SIX MONTHS OF PRACTICAL EXPERIENCE IN SURVEYING IN A COAL MINE HAVING BELOWGROUND WORKINGS AFTER POSSESSION OF THE REQUISITE ACADEMIC QUALIFICATION.

2.5.2 SURVEYOR (RESTRICTED):

QUALIFICATION	PERIOD, NATURE & DETAILS OF PRACTICAL EXPERIENCE.
SENIOR SECONDARY SCHOOL EXAMINATION OR INTERMEDIATE EXAMINATION OR ITS EQUIVALENT FROM A RECOGNIZED BOARD OR UNIVERSITY OR DIPLOMA OR DEGREE IN ANY SUBJECT OTHER THAN MINING AND CIVIL ENGINEERING OR OTHER EQUIVALENT QUALIFICATION APPROVED IN THAT BEHALF BY THE CENTRAL GOVERNMENT.	NOT LESS THAN TWO YEARS OF PRACTICAL EXPERIENCE IN SURVEYING IN A COAL MINE HAVING BELOWGROUND / OPENCAST WORKINGS IN A CAPACITY AFTER POSSESSING THE REQUISITE ACADEMIC QUALIFICATION.
DIPLOMA OR DEGREE IN CIVIL ENGINEERING OR DIPLOMA IN SURVEY ENGINEERING OR NATIONAL TRADE CERTIFICATE (NTC) IN SURVEYING.	NOT LESS THAN SIX MONTHS OF PRACTICAL EXPERIENCE IN SURVEYING IN A COAL MINE HAVING BELOWGROUND / OPENCAST WORKINGS AFTER POSSESSING THE REQUISITE ACADEMIC QUALIFICATION.

2.6 **AN AFFIDAVIT** DECLARING THAT “ALL THE DOCUMENTS AND / OR CERTIFICATES SUBMITTED ALONG WITH THE APPLICATION AND THE INFORMATION PROVIDED IN THE APPLICATION ARE TRUE / GENUINE. IN CASE OF SUBMISSION OF FALSE CERTIFICATE / DOCUMENTS / INFORMATIONS, I SHALL BE LIABLE TO BE PUNISHED AS PER THE EXTANT PROVISIONS OF THE MINES ACT, 1952”.

2.7 **FEES: RS. 600** TO BE PAID THROUGH “**BHARATKOSH**” (PROCEDURE FOR PAYMENT IS EXPLAINED IN DGMS WEBSITE: www.dgms.gov.in)

3.0 FOREMAN EXAMINATION UNDER MMR, 1961

3.1 **AGE PROOF:** SELF ATTESTED COPY OF MATRICULATION CERTIFICATE / HIGH SCHOOL CERTIFICATE / SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE / 10th STANDARD OR OTHER EQUIVALENT CERTIFICATE.

COPIES OF MARK LIST / PROVISIONAL CERTIFICATE / TRANSFER CERTIFICATE / MIGRATION CERTIFICATE NOT ACCEPTED. IF THEY ARE SUBMITTED THEN THE APPLICATION WILL BE REJECTED.

3.2 **ACADEMIC QUALIFICATION:** SELF ATTESTED COPY OF SENIOR SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE / HIGHER SECONDARY SCHOOL

CERTIFICATE / INTERMEDIATE CERTIFICATE / 12th STANDARD OR OTHER EQUIVALENT CERTIFICATE OR DIPLOMA OR DEGREE IN ENGINEERING OR OTHER EQUIVALENT QUALIFICATIONS APPROVED IN THAT BEHALF BY THE CENTRAL GOVERNMENT.

COPIES OF MARK LIST / PROVISIONAL CERTIFICATE / TRANSFER CERTIFICATE / MIGRATION CERTIFICATE NOT ACCEPTED AND IF THEY ARE SUBMITTED THEN THE APPLICATION WILL BE REJECTED.

3.3 FIRST AID CERTIFICATE (FAC): SELF ATTESTED COPY OF VALID FAC (IT HAS TO BE VALID ON THE DATE OF EXAMINATION).

PROVISIONAL CERTIFICATE IS NOT ACCEPTED. IF IT IS SUBMITTED THEN THE APPLICATION WILL BE REJECTED; FAC ISSUED BY STATE CENTRE WILL NOT BE ACCEPTED.

HOWEVER, IN CASE THE FAC IS NOT VALID AND THE APPLICANT APPEARED IN THE NEXT LEVEL OF EXAMINATION BEFORE EXPIRY OF THE PREVIOUS FAC, THEN THE APPLICANT HAS TO SUBMIT COPIES OF THE TRAINING / PASS CERTIFICATE AND OLD FAC TO CONSIDER HIS APPLICATION FAILING WHICH HIS APPLICATION WILL BE REJECTED.

3.4 MEDICAL & CHARACTER CERTIFICATES: ORIGINAL MEDICAL CERTIFICATE OF NOT EARLIER THAN TWO YEARS OLD & CHARACTER CERTIFICATE OF NOT MORE THAN ONE YEAR OLD ON THE DATE OF EXAMINATION.

3.5 SELF ATTESTED COPIES OF GT CERTIFICATE (ONLY FOR UNRESTRICTED EXAMINATION) & MINING MATE CERTIFICATE.

3.6 AN AFFIDAVIT DECLARING THAT “ALL THE DOCUMENTS AND / OR CERTIFICATES SUBMITTED ALONG WITH THE APPLICATION AND THE INFORMATION PROVIDED IN THE APPLICATION ARE TRUE / GENUINE. IN CASE OF SUBMISSION OF FALSE CERTIFICATE / DOCUMENTS / INFORMATIONS, I SHALL BE LIABLE TO BE PUNISHED AS PER THE EXTANT PROVISIONS OF THE MINES ACT, 1952”.

3.7 FEES: RS. 50 TO BE PAID THROUGH “**BHARATKOSH**” (PROCEDURE FOR PAYMENT IS EXPLAINED IN DGMS WEBSITE: www.dgms.gov.in)

4.0 SURVEYOR EXAMINATION UNDER MMR, 1961

4.1 AGE PROOF: SELF ATTESTED COPY OF MATRICULATION CERTIFICATE / HIGH SCHOOL CERTIFICATE / SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE / 10th STANDARD OR OTHER EQUIVALENT CERTIFICATE.

COPIES OF MARK LIST / PROVISIONAL CERTIFICATE / TRANSFER CERTIFICATE / MIGRATION CERTIFICATE NOT ACCEPTED. IF THEY ARE SUBMITTED THEN THE APPLICATION WILL BE REJECTED.

4.2 ACADEMIC QUALIFICATION: SELF ATTESTED COPY OF DEGREE OR DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING OR DIPLOMA IN SURVEY ENGINEERING OR NTC (SURVEYING) CERTIFICATE OR SENIOR SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE / HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE / INTERMEDIATE CERTIFICATE / 12th STANDARD OR OTHER EQUIVALENT CERTIFICATE OR DIPLOMA OR DEGREE IN ENGINEERING (OTHER THAN CIVIL ENGINEERING) OR OTHER EQUIVALENT QUALIFICATIONS APPROVED IN THAT BEHALF BY THE CENTRAL GOVERNMENT.

4.2.1 NTC (SURVEYING) CANDIDATES SHALL ALSO SUBMIT SELF ATTESTED COPY COPY OF SENIOR SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE / HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE / INTERMEDIATE CERTIFICATE OR OTHER EQUIVALENT CERTIFICATE.

COPIES OF MARK LIST / PROVISIONAL CERTIFICATE / TRANSFER CERTIFICATE / MIGRATION CERTIFICATE NOT ACCEPTED. IF THEY ARE SUBMITTED THEN THE APPLICATION WILL BE REJECTED.

4.3 FIRST AID CERTIFICATE (FAC): SELF ATTESTED COPY OF VALID FAC (IT HAS TO BE VALID ON THE DATE OF EXAMINATION).

PROVISIONAL CERTIFICATE IS NOT ACCEPTED. IF IT IS SUBMITTED THEN THE APPLICATION WILL BE REJECTED; FAC ISSUED BY STATE CENTRE WILL NOT BE ACCEPTED.

HOWEVER, IN CASE THE FAC IS NOT VALID AND THE APPLICANT APPEARED IN THE NEXT LEVEL OF EXAMINATION BEFORE EXPIRY OF THE PREVIOUS FAC, THEN THE APPLICANT HAS TO SUBMIT COPIES OF THE TRAINING / PASS CERTIFICATE AND OLD FAC TO CONSIDER HIS APPLICATION FAILING WHICH HIS APPLICATION WILL BE REJECTED.

4.4 MEDICAL & CHARACTER CERTIFICATES: ORIGINAL MEDICAL CERTIFICATE OF NOT EARLIER THAN TWO YEARS OLD & CHARACTER CERTIFICATE OF NOT MORE THAN ONE YEAR OLD ON THE DATE OF EXAMINATION.

4.5 EXPERIENCE CERTIFICATE:

4.5.1 SURVEYOR (UNRESTRICTED):

QUALIFICATION	PERIOD, NATURE & DETAILS OF PRACTICAL EXPERIENCE
SENIOR SECONDARY SCHOOL EXAMINATION OR INTERMEDIATE EXAMINATION OR ITS EQUIVALENT FROM A RECOGNIZED BOARD OR UNIVERSITY OR DIPLOMA OR DEGREE IN ANY SUBJECT OTHER THAN MINING AND CIVIL ENGINEERING OR OTHER EQUIVALENT QUALIFICATION APPROVED IN THAT BEHALF BY THE CENTRAL GOVERNMENT.	NOT LESS THAN TWO YEARS OF PRACTICAL EXPERIENCE OUT OF WHICH NOT LESS THAN SIX MONTHS OF PRACTICAL EXPERIENCE IN SURVEYING IN A METALLIFEROUS MINE HAVING BELOWGROUND WORKINGS IN A CAPACITY AFTER POSSESSION OF THE REQUISITE ACADEMIC QUALIFICATION.
DIPLOMA OR DEGREE IN CIVIL ENGINEERING OR DIPLOMA IN SURVEY ENGINEERING OR NATIONAL TRADE CERTIFICATE (NTC) IN SURVEYING	NOT LESS THAN SIX MONTHS OF PRACTICAL EXPERIENCE IN SURVEYING IN A METALLIFEROUS MINE HAVING BELOWGROUND WORKINGS AFTER POSSESSION OF THE REQUISITE ACADEMIC QUALIFICATION.

4.5.2 SURVEYOR (RESTRICTED):

QUALIFICATION	PERIOD, NATURE & DETAILS OF PRACTICAL EXPERIENCE.
SENIOR SECONDARY SCHOOL EXAMINATION OR INTERMEDIATE EXAMINATION OR ITS EQUIVALENT FROM A RECOGNIZED BOARD OR UNIVERSITY OR DIPLOMA OR DEGREE IN ANY SUBJECT OTHER THAN MINING AND CIVIL ENGINEERING OR OTHER EQUIVALENT QUALIFICATION APPROVED IN THAT BEHALF BY THE CENTRAL GOVERNMENT.	NOT LESS THAN TWO YEARS OF PRACTICAL EXPERIENCE OUT OF WHICH NOT LESS THAN SIX MONTHS OF PRACTICAL EXPERIENCE IN SURVEYING IN A METALLIFEROUS MINE HAVING BELOWGROUND / OPENCAST WORKINGS IN A CAPACITY AFTER POSSESSION OF THE REQUISITE ACADEMIC QUALIFICATION.
DIPLOMA OR DEGREE IN CIVIL ENGINEERING OR DIPLOMA IN SURVEY	NOT LESS THAN SIX MONTHS OF PRACTICAL EXPERIENCE IN SURVEYING IN

ENGINEERING OR NATIONAL TRADE CERTIFICATE (NTC) IN SURVEYING.	A METALLIFEROUS MINE HAVING BELOWGROUND / OPENCAST WORKINGS AFTER POSSESSING THE REQUISITE ACADEMIC QUALIFICATION.
---	--

4.6 AN AFFIDAVIT DECLARING THAT “ALL THE DOCUMENTS AND / OR CERTIFICATES SUBMITTED ALONG WITH THE APPLICATION AND THE INFORMATION PROVIDED IN THE APPLICATION ARE TRUE / GENUINE. IN CASE OF SUBMISSION OF FALSE CERTIFICATE / DOCUMENTS / INFORMATIONS, I SHALL BE LIABLE TO BE PUNISHED AS PER THE EXTANT PROVISIONS OF THE MINES ACT, 1952”.

4.7 FEES: RS. 50 TO BE PAID THROUGH “BHARATKOSH” (PROCEDURE FOR PAYMENT IS EXPLAINED IN DGMS WEBSITE: www.dgms.gov.in)

NOTE:

- i. ANY CORRESPONDENCE IN RELATION WITH THE EXAMINATION WILL BE INFORMED ONLY THROUGH E-MAIL / DGMS WEBSITE direxamhq@gmail.com / www.dgms.gov.in
- ii. CANDIDATES ARE REQUESTED TO GIVE THEIR VALID E-MAIL ID **(TO BE FILLED CLEARLY IN CAPITAL LETTERS)**.
- iii. PAYMENT OF FEES TO BE MADE THROUGH ONLY “BHARATKOSH” AND THE SELF ATTESTED COPY OF THE RECEIPT TO BE ENCLOSED WITH THE APPLICATION.
- iv. ADMIT CARD / CALL LETTERS OF ELIGIBLE CANDIDATES WILL BE UPLOADED IN DGMS WEBSITE www.dgms.gov.in AND THE CANDIDATES ARE REQUESTED TO DOWNLOAD & TAKE A COPY OF THE SAME; THE CALL LETTERS WILL NOT BE SENT EITHER BY POST OR MAIL TO INDIVIDUAL CANDIDATES.
- v. CANDIDATES ARE REQUESTED TO CARRY ANY ORIGINAL PHOTO ID PROOF ALONG WITH THEM TO ATTEND THE EXAMINATION.